राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 112/2024

अजय कुमार राव —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उपसचिव–।। पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझनू।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मंडावा, जिला झुंझनू।
5. श्री कैलाश चन्द सैनी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति मंडावा, जिला झुंझनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक विकास अधिकारी के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अधिकारी के पद पर पंचायत समिति मंडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है, प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समायोजित करने के उद्देश्य से 90 किमी. दूर बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 89(8)(।।) के प्रावधान के अनुसार कार्मिक का स्थानान्तरण संबंधित पंचायत समिति के प्रधान के परामर्श के उपरान्त ही किया जाने का प्रावधान है (अनुलग्नक–3)। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से परामर्श किये बिना ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है। जो विधि विरूद्व एवं अनुचित है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर **एस. बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 14549/2022 इन्द्र शर्मा बनाम पंचायतीराज विभाग एवं अन्य** में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–2) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर

निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति मंडावा, जिला झुंझुनू में कार्य करने दिया जावें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक विकास अधिकारी के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति मंडावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। सहायक विकास अधिकारी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा किये गये स्थानान्तरण पर अधिनियम की धारा–89 (8) (ा) प्रभावी नहीं होती है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहा की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

5. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य